**CNR NO UPDEO 1001919 2021**

**<u>न्यायालय सत्र न्यायाधीश,देवरिया।</u>**

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या– 793/2021,

अमरजीत यादव पुत्र मोती यादव,

निवासी–शिवपुर पडरही भरटोला, थाना रूद्रपुर जिला–देवरिया।

आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य                                                            प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या– 134/2021

धारा–3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम

थाना– रूद्रपुर, जनपद देवरिया।

**<u>आदेश</u>**

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त अमरजीत यादव, जो अपराध संख्या– 134/2021, धारा–3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना रूद्रपुर, जनपद देवरिया के अन्तर्गत वांछित हैं, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

प्रथम सूचनाकर्ता थानाप्रभारी बृजेश कुमार मिश्र थाना रूद्रपुर, जिला देवरिया नें थानें पर लिखित तहरीर देकर सूचित किया है कि दिनांक 28–6–2021 को वह स्वयं मय हमराह पुलिसकर्मचारी देखभाल क्षेत्र आदर्श चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर ने सूचना दिया कि ग्राम परसौना में सुभम दुबे पुत्र अनिल दुबे अपने घर के सामने अपने साथियों अमरजीत यादव व येागेश यादव एवं सुभम दुबे के साथ बेरहमी से पिकप पर गोवंशीय पशु लाद दिये हैं तथा बध हेतु बिहार ले जाने वाले हैं। उक्त सूचना पर विश्वास कर पुलिसलब परसौना गांव के समीप पहुंचे थे कि एक पिकप आते दिखाई दिया। पिकप को रोकने का प्रयास किया गया तो चालक पिकप को 50 मीटर पहले ही वाहन को रोक दिया एवं पिकप में से चालक व दो व्यक्ति निकल कर भागने लगे। पुलिसबल के द्वारा पहचान कर बताया गया कि चालक सीट से जो व्यक्ति निकलकर भाग रहा है, वह योगेश यादव पुत्र छेदी यादव निवासी ग्राम सचौली पटवलिया थाना एकौना जिला–देवरिया है एवं बायें सीट से दो व्यक्ति जो निकलकर भाग रहेहैं, उनमे से परसौना की ओर भाग रहे व्यक्ति सुभम दुबे एवं दूसरे तरफ पूरब की तरफ भागने वाले व्यक्ति का नाम अमरजीत यादव पुत्र गोपी यादव निवासीग्राम शिवपुर पडहरी थाना रूद्रपुर देवरिया है। पुलिस बल द्वारा भाग रहे तीनों व्यक्तियों का पीछा किया गया परन्तु उक्त लोग भागने मे सफल रहे। बरामदशुदा पिकप यू0पी053 एफ.टी./1790 में आठ राशि गोवंशीय पशु एक दूसरे के उपर मुंह बांधे पडे थे। जिसको ग्राम चौकीदार की सहायता से बांधे गये पशुओं को बाहर निकाला गया, जिसमें दो गोवंशीय पशुओं की मृत्यु हो गयी थी। भागे हुए तीनों व्यक्तियों का कृत्य धारा–3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशुक्रूरता अधिनियम का अपराध है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उचित कार्यवाही करनें की कृपा करें।

प्रथम सूचना रिपोर्टकर्ता के उपरोक्त तहरीर के आधार पर इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोतवाली देवरिया, जिला देवरिया में दिनांक 28–6–2021 को समय 17.22 बजे अन्तर्गत धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशुक्रूरता अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा अपराध सं0 134/2021 पर अभियुक्तगण योगेश यादव, सुभम दुबे एवं अमरजीत यादव के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मे यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद या अन्य किसी न्यायालय में न तो जमानत याचिका दी गयी है, न लम्बित है और न खारिज ही हुआ है। प्रार्थी निर्दोष है एवं घटना दिनांक 28–6–2021 को 6.30 बजे की दर्शायी गयी है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट अप्रत्याशित घोर विलम्ब से 11 घण्टे बाद दर्ज करायी गयी है, जबकि घटनास्थल से थाने की दूरी 05किलोमीटर है। उक्त विलम्ब का कोईं स्पष्टीकरण नही दिया गया है। प्रार्थी का पिकप वाहन यू0पी053 एफ.टी./1790 से कोई वास्ता सरोकर नही है एवं न ही प्रार्थी कोई गोवंशीय पशुओं को बिहार ले जा रहा था। प्रार्थी को दुश्मनों की साजिश में आकर अपमानित करने की नियत से अभियोग में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया एवं उसे कभी भी गिरफतार किया जा सकता है। घटना का कोई जनसाक्षी नही है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी जिन धाराओं में वाछित है, उसमें किसी में भी मृत्यु दण्ड का प्रावधान नही है। प्रार्थी के अन्यत्र भाग जाने की संभावना नही है। अतः अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गई है।

आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा आवेदक/अभियुक्त के द्वारा पिकप पर आठ राशि गोवंशीय पशुओं को गोकसी के लिए ले जाया जा रहा था, जिनमें से दो राशि गोवंशीय पशुओ की मृत्यु हो गयी थी। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है एवं आवेदक/ अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के आधार पर्याप्त नही है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के उपरोक्त तर्को के प्रकाश मे मैने थाने की आख्या एवं केस डायरी का सम्यक् रूप से परिशीलन किया।

---3-----

आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर बेरहमी से पिकप पर गोवंशीय पशुओं को लाद कर वध हेतु बिहार ले जाते समय रास्ते में पुलिस बल द्वारा पकडे जाने तथा पिकप मे से आठ गोवंशीय के बरामद होने का कथन है। साथ ही साथ उक्त गोवंशियों में से दो गोवंशी की मृत्यु होने का भी कथन है। केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। अभियुक्त को मौके से फरार होना कहा गया है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने से विवेचना में हस्तक्षेप किये जाने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/ अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

तदनुसार आवेदक/अभियुक्त अमरजीत यादव का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। ह0/

दिनांक:29.07.2021. **प्रभारी सत्र न्यायाधीश,**

देवरिया।

किया जाता है।

आवेदक/ अभियुक्तगण रमेश मल्ल, सुहेल खान, मनमोहन मिश्र, संजय चौरसिया उर्फ शिवेश्वर चौरसिया व आशुतोष मिश्रा को गिरफतार किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा मु0–30,000/– 30,000/–रू0 का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो–दो प्रतिभू सहित, निष्पादित करने पर निम्न शर्तो के अधीन उन्हे अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जायेः–

**01.** यह कि आवेदक/अभियुक्तगण किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ किये जाने हेतु स्वंय उपलब्ध रहेगे।

**02.** यह कि आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से,मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा,धमकी या वचन नहीं देगे जिससे कि उन्हे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

**03.** यह कि आवेदक/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगे।

**04.** आवेदक/अभियुक्तगण इस अध्याय के अधीन निष्पादित बन्धपत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगे।

**05.** आवेदक/अभियुक्तगण उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है,कोई अपराध नहीं करेगे।

दिनांकः–02–07–2021

(रवि नाथ)
सत्र न्यायाधीश
देवरिया।